

निर्णय बर्डजलास करतार सिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०, अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण संख्या 24/18

दायरा- 04.07.18

राजस्थान सरकार जर्ज पुलिस अधीक्षक झालावाड

सायल

बनाम

राकेश आ० लक्ष्मीनारायण मेघवाल निवासी नई कॉलोनी रायपुर

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- श्री शैलेन्द्र पोसवाल वकील गैर सायल

-: आदेश :-

दिनांक :- 03.06.19



संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी रायपुर द्वारा जर्ज पुलिस अधीक्षक झालावाड गैर सायल राकेश आ० लक्ष्मीनारायण मेघवाल निवासी नई कॉलोनी रायपुर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 4584 दिनांक 07.06.18 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना रायपुर जिला झालावाड में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क्र०स०	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	71/08	394,324,34 आईपीसी	पेण्डिंग कोट
2	35/09	341,323 ipc	पेण्डिंग कोट
3	85/09	13 आरपीजीओ	200/- जुर्माना
4	100/09	13 आरपीजीओ	200/ जुर्माना
5	108/17	4/25 आर्म्स एक्ट	पेण्डिंग कोर्ट

जिनमें न्यायालय द्वारा 2 प्रकरणों में निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाईं झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधों की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्ज नोटिस तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से विद्वान वकील श्री शैलेन्द्र पोसवाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब पेश किया गया दौराने बहस वकील गैर सायल द्वारा अनुरोध किया गया कि गैर सायल अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर करता है, अतः इस्तगासा खारिज फरमाकर गैर सायल को बरी किया जावे।

मैंने विद्वान वकील गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज०गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड (राज०)

--: आदेश :-

राकेश आ0 लक्ष्मीनारायण मेघवाल निवासी नई कॉलोनी रायपुर को दिनांक 05.06.19 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए जिला झालावाड़ की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अवधि में वह पुलिस थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम में लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गोंजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/-रु0 अक्षरे (दस हजार रुपये) के स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.06.19 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।



Lano
31/6/19
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
जिला झालावाड़
झालावाड़ (राज०)